न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमति कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 170 / 2023

वादी :— बनाम **प्रतिवादीगण :—**

वादी	प्रतिवादीगण
01. सुन्दरी देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति गाडिरूा लैहार निवासी— गुड़ाकलां तहसील— सोजत, जिला— पाली।	01. सरंपच ग्राम पंचायत गुड़ाकलां, तहसील— सोजत 02. लक्ष्मणराम पुत्र जुगाराम जाति लवार निवासी— गुड़ाकलां के कायम मुकाम 02 / 01 पापी देवी पत्नी लक्ष्मणराम 02 / 02 चेतन पुत्र लक्ष्मणराम 02 / 03 खुशबु पुत्री लक्ष्मणराम 02 / 04 दयावन्ती पुत्री लक्ष्मणराम 02 / 05 ललिता पुत्री लक्ष्मणराम जातियान लवार निवासीयान— गुड़ाकलां, तहसील— सोजत, जिला— पाली। 03. तहसीलदार (भुमिधारक) सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला— पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 1261 दिनांक 05.10.2020 सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा स्वीकृत :—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

दिनांक 05/03/24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय अपीलांट ने उपस्थित होकर यह म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर.एक्ट बेखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 1261 दिनांक 05.10.2020 सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा स्वीकृत द्वारा स्वीकृत आदेश के विरूद्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का गुड़ाकलां भू— अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत के खाता नंबर 98 वर्तमान खाता नंबर 107 की कृषि भूमि के खसरा नंबर 679 रकबा 0.4200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 02 / 01 से 02 / 07 के पिता / पति स्वर्गीय लक्ष्मणराम पुत्र जुगाराम जाति लवार निवासी गुडकलां एवं अन्य संयुक्त खातेदारान की आई हुई स्थित थी। उपरोक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 / 01 से 02 / 07 के पिता लक्ष्मणराम का 15 / 72 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित था। जिसमें से स्वर्गीय लक्ष्मणराम ने उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 679 रकबा 0.4200 हैक्टर में से अपने 15 / 72 हक हिस्से का 12 / 55 वां हक हिस्सा यानि संपूर्ण कृषि भूमि में 01 / 22 वे हक हिस्से की कृषि भूमि को जरिए आम मुख्तीयार जितेन्द्र पाल सिंह द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 18.12.2018 को बेचान उप पंजीयन कार्यालय बगड़ी नगर में पंजीयन करवाया अर्थात् स्वर्गीय लक्ष्मणराम द्वारा अपने 01 / 22 वा हक हिस्से का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित कर संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था । बेचान के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा संबंधित पटवारी हल्का को बेचान के आधार पर नामान्तण दर्ज करने हेतु बेचान रजिस्ट्री की प्रति दे दी थी। लेकिन बेचान के आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। उसके पश्चात लक्ष्मणराम का स्वर्गवास होने पर राजस्व रेकर्ड में शेष रही कृषि भूमि के फौतेदगी नामान्तरण के वक्त अपीलाण्ट को बेचान की गई कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कृषि भूमि में अपने नाम रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से मिलावट कर अपना नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत करवा दिया। जैर अपीलाधीन म्यूटेशन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने एवं अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड में बेचान के आधार पर इन्द्राज हेतु देने के पश्चात भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 / 01 से 02 / 07 के पक्ष में स्वीकृत नामन्तरण विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किए जाने योग्य है। सरहद मौजा गांव गुड़ाकलां के खसरा नंबर 679 रकबा 0.420 हैक्टर भूमि में से लक्ष्मणराम द्वारा अपने 15 / 72 हक हिस्से में से 12 / 55 हक हिस्स यानि 01 / 22 हक हिस्से की कृषि भूमि को जरिए आम मुख्तीयार अपीलाण्ट से संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर बेचान पंजीयन अपीलाण्ट के पक्ष में पंजीयन करवाया गया अर्थात् उपरोक्त खसरा नंबर 679 में से अपीलाण्ट का 01 / 22 हक हिस्सा खरीदसुदा कब्जासुदा आया हुआ स्थित है तथा अपीलाण्ट द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित बेचान दिनांक 18.12.2018 के आधार पर

संबंधित पटवारी हल्का बेचान के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रति भी दे दी थी लेकिन संबंधित पटवारी हल्का के द्वारा माफिक बेचान अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 02/01 से 02/07 के पिता/पति का स्वर्गवास होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से मिलावट कर गलत तथ्य बताकर पूर्व में अपीलाण्ट को बेचान की जानकारी के पश्चात भी अपीलाण्ट की खरीदशुदा कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कृषि भूमि में अपना नाम लक्ष्मणराम के स्वर्गवास पश्चात जरिए नामान्तरण संख्या 1261 के स्वीकृत कर कर इन्द्राज करवा दिया जो नामांकन अपीलाण्ट के खरीदशुदा भूमि के हक हिस्से शून्य प्रभाव एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट पेश कर अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी वैध अधिकार के बिना बेचान दस्तावेज का अवलोकन किए नामान्तरण संख्या 1261 दिनांक 08.10.2020 को निरस्त किए जाने एवं अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड में माफिक बेचान दिनांक 18.12.2018 के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत कर खातेदार दर्ज करने की इस्तदुआ की है।

इसी प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान में दिनांक 04/10/2023 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपिया लेने पर जानकारी में आया कि अपीलाण्ट का नाम बेचान के आधार पर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा इन्द्राज नही किया गया था। इस कारण देरीना अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिसेस वास्ते जवाब तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2/1 से 2/7 व 03 बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजे दिलवाए जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 05.03.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि स्वर्गीय लक्ष्मणराम ने उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 679 रकबा 0.4200 हैक्टर में से अपने 15/72 हक हिस्से का 12/55 वां हक हिस्सा यानि संपूर्ण कृषि भूमि में 01/22 वे हक हिस्से की कृषि भूमि को जरिए आम मुख्तीयार जितेन्द्र पाल सिंह द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 18.12.2018 को बेचान उप पंजीयन कार्यालय बगड़ी नगर में पंजीयन करवा कर स्वर्गीय लक्ष्मणराम द्वारा अपने 01/22 वा हक हिस्से का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित कर संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। बेचान के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा संबंधित पटवारी हल्का को बेचान के आधार पर नामान्तण दर्ज करने हेतु बेचान रजिस्ट्री की प्रति दे दी थी। लेकिन बेचान के आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। उसके पश्चात लक्ष्मणराम का स्वर्गवास होने पर राजस्व रेकर्ड में शेष रही कृषि भूमि के फौतेदगी नामान्तरण के वक्त अपीलाण्ट को बेचान की गई कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कृषि भूमि में अपने नाम रेसपोडेण्ट संख्या 01 से मिलावट कर अपना नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत करवा दिया उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1261 को खारिज कर माफिक बेचान दिनांक 18.12.2018 के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत कर खातेदार दर्ज करने की ईस्तदुआ की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित देरीना कारण युक्ति युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन किया जाता है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रति ग्राम गुड़ा कलां के खत संख्य 107 पुराना खातता संख्या 98 की वर्तमन जमाबंदी की प्रति, ऑनलाईन म्यूटेशन संख्या 1261 दिनंक 05.10.2020 की प्रति, अपीलाण्ट के आधार कार्ड की प्रति, फोटो प्रति बेचान रजिस्ट्री की प्रतियां पेश की है। जिसमें खसरा नंबर 679 रकबा 0.4200 हैक्टर में से अपने 15/72 हक हिस्से का 12/55 वां हक हिस्सा यानि संपूर्ण कृषि भूमि में 01/22 वे हक हिस्से की कृषि भूमि को जरिए आम मुख्तीयार जितेन्द्र पाल सिंह द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 18.12.2018 को जरिये बेचान रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय बगड़ी नगर में पंजीयन करवाया जाना स्पष्ट होता है। किन्तु उक्त बेचान के आधार पर खरीदकर्ता के पक्ष में नामान्तरकरण नही भरा जाकर लक्ष्मणराम का स्वर्गवास होने पर राजस्व रेकर्ड में शेष रही कृषि भूमि के फौतेदगी नामान्तरकरण के वक्त अपीलाण्ट को बेचान की गई कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कृषि भूमि में रेस्पोडेन्टान नम्बर 02 के नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत करवा दिया । इससे यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 01 द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1261 दिनांक 18.12.2018 सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किए बिना स्वीकृत किया जो विधि अनुरूप नही है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम गुडाकलां के खसरा नंबर 98 वर्तमान खाता नंबर 107 की कृषि भूमि के खसरा नंबर 679 रकबा 0.4200 हैक्टर की कृषि भूमि दर्ज म्युटेशन संख्या 1261 ग्राम पंचायत गुडाकलां द्वारा स्वीकृत दिनांक 05.10.2020 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे ग्राम गुड़ के खसरा नंबर 98 वर्तमान खाता नंबर 107 की कृषि भूमि के खसरा नंबर 679 रकबा 0.4200 हैक्टर की कृषि भूमि दर्ज म्युटेशन संख्या 1261 ग्राम पंचायत गुडाकलां द्वारा स्वीकृत दिनांक 05.10.2020 को अपास्त किया जाता एवं पुनः नए सिरे से जांच करके बैचान रजिस्ट्री दिनांक 18.12.2018 के अनुसार बाद जॉच विधिसंवत् नामान्तरकरण पारित करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 8/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)